



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/भ.शा. /2026/ 805

भोपाल, 07/07/2026

दर-आमंत्रण

प्रति,

विषय : विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर स्थित कुलगुरु कार्यालय की स्लाइडिंग विंडो में नवीन रोलर ब्लाइंडस लगाने के लिए दरें आमंत्रित।

विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर स्थित कुलगुरु कार्यालय की स्लाइडिंग विंडो में नवीन रोलर ब्लाइंडस लगाने के लिए दरें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपनी दरें “कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल” के नाम से दिनांक 20-07-2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/कोरियर/ पत्रवाहक के माध्यम से विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा, चाणक्य भवन, प्रथम तल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, माखनपुरम परिसर, म.प्र.शूटिंग अकादमी के पास, बिसनखेड़ी, भोपाल- 462044 (म.प्र.) के पते पर भेज सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो में नवीन रोलर ब्लाइंडस लगाने का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	सामग्री का विवरण	संख्या (नग)	दर प्रति स्कवायर फीट	उल्लेखित राशि प्रति विंडो समस्त कर सहित	कुल उल्लेखित राशि समस्त कर सहित
1.	Zebra Blinds (N.B.T. Brand) (JAPAN) (Size 91 x 91 per window)	10			
OR					
2.	Zebra Blinds (Non Brand) (Size 91 x 91 per window)	10			

नियम व शर्त :-

- सरल क्रमांक 1 अथवा 2 में से एक रोलर ब्लाइंडस लगवाये जायेंगे। दरें आपको दोनों रोलर ब्लाइंडस की जगह पर उल्लेखित करना है।
- निर्धारित समयावधि के पश्चात् फर्मों से प्राप्त दरों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय के बिसनखेड़ी परिसर स्थित कुलगुरु कार्यालय में निर्धारित स्थान एवं समय पर रोलर ब्लाइंडस लगाना होगा।
- फर्म/संस्था/प्रोपाइटर का जी.एस.टी. नंबर तथा पैन कार्ड संलग्न करें।
- किसी भी दर आमंत्रण निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

-2-

6. सामग्री की गुणवत्ता अपेक्षित मानदण्डों के अनुरूप न होने पर भुगतान देय नहीं होगा।
7. कार्य आदेश जारी करने के 3 कार्यालयीन दिवस में सामग्री की आपूर्ति विश्वविद्यालय में करनी होगी।
8. भुगतान हेतु देयक तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।
9. सामग्री की वारंटी अवधि का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा।


(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव


पृ. क्र./भ.शा./2026/806

भोपाल, 7/07/2026

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, कुलगुरु/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रस्तुत।
3. प्रभारी, वेबसाईट को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर उपलब्ध कराने की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
4. प्रभारी, भण्डार शाखा/संधारण को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
5. आदेश पुस्तिका।

— Sd —
(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव